राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 830/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
हितेन्द्र परिहार लवीना फोटो कॉपीयर्स] रोजगार कार्यालय के पास] नागौर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 20-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अशोक कुमार जैन, सहायक श्रम आयुक्त, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 8-6-17 के द्वारा ट्रेड यूनियन बनाने के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कितने संभाग/जिले के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है आदि तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। पूर्ण सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 14-9-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 9-9-17 से संसूचित कर दिया गया था कि बिन्दु संख्या 1 व 2 से चाही गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आती है तथा बिन्दु संख्या 3 से सम्बन्धित सूचना प्रेषित कर दी गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 14-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त